फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

रतनलाल पिता नाथूलाल अहीर निवासी लालपुरा, तहसील राशमी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, राशमी वगैरा

प्रकरण संख्या 08/2025 (विविध)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.11.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाने पर भी प्रार्थी तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। पुनः न्यायालय समय में रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी प्रार्थी तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल अपील प्र. सं. 07/2025 (रा.अ.) के संलग्न की जावे।	

Web Copy - Not Official